

No. 24/11/2014-Public  
Government of India/Bharat Sarkar  
Ministry of Home Affairs/Grih Mantralaya  
Public Section

\*\*\*

North Block, New Delhi-1  
Dated the 10 July, 2014

To

Sh. Ajit Kumar,  
137, MIG, Yashoda Devi Path,  
Lohiya Nagar, Kankarbagh Colony,  
Patna-20.

Subject:- Information sought under RTI Act, 2005- regarding.

- - -


Please refer to your request dated 28.3.2014, received by the undersigned on 1.7.2014, through RTI Section of this Ministry vide their letter O.M. No. A-43020/01/2014-RTI dated 30.6.2014, on the above noted subject.

2. It is informed that your letter dated 17.12.2013 was received through President's Secretariat on 27.1.2014 without their forwarding and another letter on the similar subject was received through PMO vide their ID No. 2/3/2014-PMP4/117791 dated 9.1.2014. A reply was sent vide this Ministry's letter No. 15/2/2014-Public dated 14.2.2014 followed by its Hindi Version dated 3.3.2014. A copy of each of the two letters is enclosed.

3. Appeal, if any, may be made under Section 19 (1) of the Right to Information Act to the Appellate Authority within 30 days. The particulars of Appellate Authority are as under:-

Shri Satpal Chouhan. Joint Secretary (Admn.) & Appellate Authority, Room No. 194, Ministry of Home Affairs, North Block, New Delhi-110001.

Hindi version will follow.

  
(Shyamala Mohan)  
Director & CPIO

Copy for information to :-

1. RTI Section, MHA, North Block, New Delhi, w.r.t. their communication cited above.
2. SO(IT), MHA, North Block, New Delhi, for uploading of RTI application received and its reply under the concerned CPIO with search facility based on key words in the MHA website under the heading RTI Act-Information under 4(1)(b) of the Act.

No. 15/2 2014-Public  
Government of India Bharat Sarkar  
Ministry of Home Affairs Grih Mantralaya  
Public Section

\*\*\*

North Block, New Delhi-1  
Dated the 14 February 2014

To

Shri Ajit Kumar,  
R/o MIG-137, Yashoda Devi Path,  
Lohiya Nagar, Kankarbagh,  
Patna -800020, Bihar.

Subject:- Disrespect of National Flag -regarding.

Sir,

I am directed to refer to your letter dated 17.12.2013 received directly and 27.12.2013 received through PMO vide ID No. 2/3/2014-PMP/117791 dated 9.1.2014 on the above noted subject and to say that the use/display/hoisting of the National Flag is regulated by the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and Flag Code of India, 2002, which are available on this Ministry's website [www.mha.nic.in](http://www.mha.nic.in).


2. Para 2.1 of Part II, Section I of Flag Code of India 2002 inter-alia state that -

"There shall be no restriction on the display of the National Flag by members of general public, private organizations, educational institutions, etc., except to the extent provided in the Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act, 1950 and the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and any other law enacted on the subject".

3. The insult to the Indian National Flag is a punishable offence under Section 2 of the Prevention of Insults to National Honour Act, 1971 and it contains an illustrative list of insults to or disrespect of the National Flag. The complaint regarding insult to National Flag may be filed in the nearest police station where the incident has occurred.

4. Safeguards regarding use of the National Flag already exist in the Flag Code of India 2002 and aforesaid Act. From time-to-time this Ministry has been sending advisory to all States/UTs for correct use of the National Flag.

Hindi version will follow.



Yours faithfully,

*Racael*  
#4/02/2014

(Sunil Kumar)  
Section Officer (Public)

Copy for information to:-

Shri Pavan Malviya, Section Officer, Prime Minister's Office, New Delhi w.r.t. their communication cited above.

सं. 15/2/2014-पब्लिक

भारत सरकार

गृह मंत्रालय

पब्लिक अनुभाग

\*\*\*\*

नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली-1

दिनांक 14 अक्टूबर, 2014

सेवा में

श्री अजीत कुमार,  
निवासी एम आई जी-137, यशोदा देवी पथ,  
लोहिया नगर, कंकडवाग कॉलोनी,  
पटना-800020, बिहार।

विषय: राष्ट्रीय झंडे के अपमान के संबंध में।

महोदय,

मुझे, ऊपर उल्लिखित विषय पर आपके दिनांक 17.12.2013 के पत्र जो सीधे प्राप्त हुआ था तथा दिनांक 27.12.2013 के पत्र जो दिनांक 09.01.2014 की आई डी सं. 02/03/2014-पी एम पी 4/117791 के तहत प्रधानमंत्री कार्यालय के माध्यम से प्राप्त हुआ था. का उल्लेख करने तथा यह कहने का निर्देश हुआ है कि राष्ट्रीय झंडे के प्रयोग प्रदर्शन/ऊहराने को राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा भारतीय झंडा संहिता, 2002 द्वारा विनियमित किया जाता है, जो इस मंत्रालय की वेबसाइट [www.mha.nic.in](http://www.mha.nic.in) पर उपलब्ध है।

2. भारतीय झंडा संहिता, 2002 की धारा 1, भाग II का पैरा 2.1 में अन्य बातों के साथ-साथ यह उल्लेख है कि -

"आज जनता, गैर सरकारी संगठनों और शैक्षणिक संस्थाओं आदि के द्वारा राष्ट्रीय झंडे के प्रदर्शन पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा सिवाय संप्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग का निवारण) अधिनियम, 1950 और राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 तथा इस विषय पर बनाए गए किसी अन्य कानून में बताए गए प्रतिबंध के।"

3. राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम, 1971 की धारा 2 के तहत राष्ट्रीय झंडे का अपमान एक दंडनीय अपराध है तथा इसमें राष्ट्रीय झंडे के अपमान तथा अनादर की निदर्शों सूची शामिल है।

राष्ट्रीय झंडे के अपमान संबंधी शिकायत उस नजदीकी पुलिस थाने में की जा सकती है, जहां घटना घटित हुई है।

4. राष्ट्रीय झंडा के प्रयोग संबंधी सुरक्षोपय भारतीय झंडा संहिता, 2002 तथा उपर्युक्त अधिनियम में पहले से मौजूद हैं। यह मंत्रालय राष्ट्रीय झंडे के सही प्रयोग के संबंध में समय-समय पर सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्शी-पत्र भेजता रहा है।

भवदीय,

श्री श्री श्री  
11/03/2014

(सुनील कुमार)

अनुभाग अधिकारी (पब्लिक)

पत्रिका/सूचनाएं प्रेषित:-

श्री पवन मालवीय, अनुभाग अधिकारी, प्रधानमंत्री कार्यालय को उनके उपर्युक्त पत्र के संबंध में।


o/c



प्रपत्र 'क'

# सूचना प्राप्त करने के लिए आवेदन प्रपत्र

आई.डी. सं० (कार्यालय प्रयोग के लिए).....



सेवा में

लोक सूचना पदाधिकारी  
(विभाग/कार्यालय).....

राजिव का सामान्य  
गृह मंत्रालय गान (भाग नौकरी वनों)

1. आवेदक का नाम : अजीत कुमार =
2. पूरा पता : 137, एम० आर० जी० / भशोदा देवी पथ नई दिल्ली
3. मांगी गई सूचना का व्यास (संक्षेप में) : नौकरी का नगर / पटना - 20 / बिहार

S.I. No.: P1/A/0601140079 दिनांक 06/7/2014

जो मेरे द्वारा दिया आवेदन 17/11/13 को  
दफ्तरीय राउट पर भेजा था सो सम्बन्धित  
भा के सम्बन्ध में पूरा विचारना  
जावाई किया गया / पर एवं आवेदन  
कि ध्यापन सलम का है आप  
के सुविधा के लिए।

4. मे प्रपत्र द्वारा संश्लिषत करत/करती है कि मेरी पूरा जानकारी में मांगी गई सूचना, सूचना का अन्वयण  
अभिनियम, 2009 की धारा 8 एवं 9 के अंतर्गत मुक्त नहीं है यह आपके विभाग/कार्यालय से संबंधित है।

*Handwritten signature/initials*

5. (1) मैं 10 रुपये (शब्दों में) दस तिथि..... को रसीद सं०.....  
से विभाग/कार्यालय में भुगतान किया है।

(2) मैं डिमन्ड ड्राफ्ट/भुगतान (पोस्टल) अदेश सं० 28F182629 दिनांक 25/03/14  
जो कि लोक सूचना पदाधिकारी के पक्ष में भुगतान किया द्वारा जारी की गयी है,  
जोह के रूप में संलग्न करता हूँ।

(3) मैंने दस (10) रुपये का नन जुडिशियल स्टाम्प सं०..... का आवेदन में लगा  
दिया (सबूत कर दिया) है।

(4) मैं मर्यादा रेखा से नीचे वाले परिवार का हूँ। मेरा कार्ड/वॉलिन सर्टिफिकेट को छाया प्रति संलग्न है।

आवेदक का हस्ताक्षर : अजीत कुमार  
ई-मेल पता, अगर कोई हो :  
दृभम गिह्य (कार्यालय) : 095349226663 28/03/14  
आवकत :

CR  
HS  
पटल  
28/03/14

आवेदक के पतावाक का पूरा पता : 137, एम० आर० जी०  
भशोदा देवी पथ / नौकरी का नगर / पटना - 20

आवेदक को सूचना के अन्वयण का अधिकार नहीं है।  
आवेदक को सूचना के अन्वयण का अधिकार नहीं है।